

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

155/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2023/423

वादी

बनाम

प्रतिवादी

करीम खां पुत्र कादर खां
जाति मुसलमान
निवासी पटाऊ कला खुर्द
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1.सुभान खां पुत्र कादर खां
2.लीला पत्नी आसीन खां
जाति मुसलमान निवासी पटाऊ कला
खुर्द
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
- 2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 24.04.2026




संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 166 क्षेत्रफल 6.2220 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 12.9.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति दी गई। जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 166 क्षेत्रफल 6.2220 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


क्रं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	बरंग
1	करीम खां पुत्र कादर खां हिस्सा पूर्ण कौम मुसलमान सा.देह खातेदार	पटाऊ खुर्द	166	2.0740	काला
2	सुभान खां पुत्र कादर खां हिस्सा पूर्ण कौम मुसलमान सा.देह खातेदार	पटाऊ खुर्द	166	2.0740	हरा
3	लीला पत्नि आसीन खां हिस्सा पूर्ण कौम मुसलमान सा.देह खातेदार	पटाऊ खुर्द	166	2.0740	आसमानी

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।


(अशोक कुमार) 24/04/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.4.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर 24/04/2026
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठसीन अधिकारी :- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 155/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/423

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

करीम खां पुत्र कादर खां
जाति मुसलमान निवासी पटाऊ कला खुर्द
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1.सुभान खां पुत्र कादर खां
2.लीला पत्नी आसीन खां
जाति मुसलमान निवासी पटाऊ कला खुर्द
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:-155/2023

निर्णय दिनांक :-24.4.2026

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 24.4.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठसीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.4.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 24.4.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)बालोतरा